

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक 15-03-19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹63,73,835/- ( तिरसठ लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पैतीस रुपये ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-12(7)ब दिनांक-12.06.18, 24(7)ब दिनांक-23.07.18, 27(7)ब दिनांक-05.09.18, 47(7)ब दिनांक-11.10.18, 69(7)ब दिनांक-28.12.18 एवं 80(7)ब दिनांक-08.01.19 एवं 101(7)ब दिनांक-6.3.19 के क्रम में संलग्न विवरणी अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹63,73,835/- ( तिरसठ लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पैतीस रुपये ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड- 20-2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संकामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सांरग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मदों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में तुरत करेगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


Q

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।
10. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 117 (7) @

पटना, दिनांक : 15 - 03 - 19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



38 जिला यथा पटना/मोजपुर/गोपालगंज/नवादा/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/वैशाली/गया/औरंगाबाद/भागलपुर/बाँका/पुर्बी चम्पारण (मोतीहारी)/प० चम्पारण(बेतिया)/शेखपुरा/किशनगंज/जमुई/कटिहार/पूर्वोछी/खगड़िया/बक्सर/सारण/नालन्दा/रोहतास (सासाराम)/बेगूसराय/मधुबनी/सीवान/सहरसा/मधेपुरा/सीतामढ़ी/दरभंगा/सुपौल/अररिया/लखीसराय/कैमूर (मधुआ)/मुंगेर/शिवहर/जहानाबाद/अरवल के सिविल सर्जन कार्यालय एवं संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अधीन 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण सकारक रोग कर्मचारी वर्ग / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर चालक/अपर मुख्य चिकित्सा प्रशिक्षण योजना, पटना अन्तर्गत कर्मचारी एवं पदाधिकारी/अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वा० सेवाएँ का वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ता मद एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11-01)	वर्दी/पोषाक (13-06)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहरसा	240000	168000	120000	255000	576000	3519000	0	0	3519000	533/8.3.19
2	बक्सर	200000	160000	100000	160000	420000	2840000	0	0	2840000	501/2.3.19
3	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	5835	0	5835	555/5.3.19
4	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	371/5.3.19
	कुल	4400000	328000	220000	415000	996000	6359000	5835	9000	6373835	

(तिरसठ लाख तिहत्तर हजार आठ सौ ~~बेतीस~~ <sup>रु० मात्र</sup>)

117 (7) 9

15-03-19

सरकार के विशेष सचिव

*(Signature)*

**उपबंध की स्थिति**

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	520013000	492665000	4400000	497065000	22948000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	52001000	50682100	328000	51010100	990900
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	74474000	73748950	220000	73968950	505050
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	4112000	2005000	0	2005000	2107000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	10260000	9234935	415000	9649935	610065
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	38640000	36424550	996000	37420550	1219450
7	त्यौहार अग्रिम (0002-01-08)	500000	0	0	0	500000
	<b>योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन</b>	<b>700000000</b>	<b>664760535</b>	<b>6359000</b>	<b>671119535</b>	<b>28880465</b>
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	1000000	997854	0	997854	2146
9	यात्रा व्यय (0002-11-01)	2500000	2494165	5835	2500000	0
10	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	5000000	5000000	0	5000000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	3000000	3000000	0	3000000	0
12	दूरभाष (0002-13-03)	300000	300000	0	300000	0
13	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	6550000	6550000	0	6550000	0
14	विधि प्रभार (0002-13-05)	2000000	1995000	0	1995000	5000
15	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	300000	291000	9000	300000	0
16	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	1110000	1097000	0	1097000	13000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	1500000	1500000	0	1500000	0
19	दवा भंडार (0002-21-02)	2400000	2400000	0	2400000	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	0	0	1000
21	सविदा सेवारत (0002-28-02)	2000000	2000000	0	2000000	0
22	मशीने एवं उपकरण (0002-52-01)	1000	0	0	0	1000
	<b>कुल योग:-</b>	<b>730162000</b>	<b>692385554</b>	<b>6373835</b>	<b>698759389</b>	<b>31402611</b>

117(7)A

15-03-19

सरकार के विशेष सचिव

14/3/19